झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

रिट याचिका (एल) संख्या. 91/2016

श्री अनिल कुमार दत्ता, महाप्रबंधक, कतरास क्षेत्र, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर- सिजुआ, थाना- जोगता, जिला- धनबाद के माध्यम से, कतरास क्षेत्र, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर- सिजुआ, थाना- जोगता, जिला- धनबाद के प्रबंधन से संबंधित नियोक्ता।"

------ याचिकाकर्ता

बनाम

उनके कार्यकर्ता, जिन्हें राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेंद्र पथ, जिला धनबाद के उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

------ प्रतिवादी

पेटीशनर के लिए : श्री ए.के. मेहता, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : कोई उपस्थित नहीं

<u>उपस्थित</u>

न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की सुनवाई की, लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए इस याचिका की सुनवाई एकतरफा की गई।

2. यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें याचिका की गई है कि 13.08.2014 को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद द्वारा संदर्भ संख्या 100/2000 में पारित निर्णय का वह हिस्सा रद्द किया जाए, जिसके

तहत याचिकाकर्ता/प्रबंधन को प्रतिवादी-कार्यकर्ता को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से लेकर पुनःस्थापन की तारीख तक का पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि संबंधित सरकार, जो कि केंद्रीय सरकार है, ने निम्नलिखित विवाद को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद के पास निर्णय के लिए भेजा:

"क्या एम/एस बीसीसीएल लिमिटेड, कतरास चैतूडीह कोलियरी, धनबाद द्वारा श्री बिंदेश्वर भुइया, माइनर लोडर, की बर्खास्तगी उचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कार्यकर्ता किस राहत का हकदार है?"

4. प्रबंधन ने घरेलू जांच की निष्पक्षता से संबंधित प्राथमिक मुद्दों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, और न्यायाधिकरण ने 12.12.2005 को आदेश संख्या 231 के तहत यह घोषित किया कि घरेलू जांच न तो निष्पक्ष थी और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार। इसके बाद, प्रबंधन ने घरेलू जांच के मेरिट पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, और न्यायाधिकरण ने यह निर्णय किया कि प्रतिवादी-कार्यकर्ता, बिंदेश्वर भुइया, माइनिंग लोडर की बर्खास्तगी उचित नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता को सेवा में पुनःस्थापन और पिछला वेतन देने का हकदार माना गया। न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी/प्रबंधन को एक महीने के भीतर आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से निर्णय किया क्योंकि अनुशासनात्मक जांच के रिकॉर्ड को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इसलिए प्रबंधन अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि संबंधित कार्यकर्ता को यह साबित करना होता है कि वह बर्खास्तगी की तारीख से लेकर अब तक किसी अन्य कार्य में व्यस्त नहीं था, और पूर्ण पिछला वेतन देने का निर्देश अवैध है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर बनाम फूल चंद (डी) थ्रू लर्स (2018 18 एससीसी 299)** के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में, जहां किसी भी पक्ष ने पिछला वेतन देने के लिए आवश्यक सामग्री तथ्यों को साबित करने के लिए

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुल पिछले वेतन का 50% देने का निर्णय किया।

7. इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **रीतु मार्बल्स बनाम प्रभाकांत शुक्ला [(2010) 2 एससीसी 70]** मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसका पैराग्राफ 15 इस प्रकार है: -याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रबंधन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी कार्यकर्ता ने अभी तक पुनःस्थापन के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

> *"15. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समाप्ति आदेश को अवैध घोषित किए जाने पर पूरे बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्नियुक्ति के साथ उस अवधि के लिए पूरे बकाया वेतन का भुगतान भी किया जाए, जब कर्मचारी सेवा से बाहर था और उसने उद्योग में बहुत कम या कुछ भी योगदान नहीं दिया।*

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित रूप से या यांत्रिक रूप से नहीं किया जा सकता, और उस मामले में भी, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को सेवा समाप्ति की तारीख से पुनर्नियुक्ति तक 50% बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, न्यायालय का ध्यान 01.07.2017 के पूरक शपथपत्र की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया गया कि प्रबंधन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी कर्मचारी अब तक अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए नहीं आया है। अतः, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रार्थना की है कि इस याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस रिट याचिका में निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि *"क्या विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार में पूरे बकाया वेतन का आदेश 50% तक कम किया जाना चाहिए?"* , जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में माना गया है।

9. यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मैनेजमेंट ऑफ रीजनल चीफ इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रांची बनाम उनके श्रमिक, जिला सचिव द्वारा प्रतिनिधित्वित [(2019) 18 एससीसी 814]** मामले में, पैराग्राफ 11 में इस प्रकार माना है: -

> *"11. ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि कर्मचारी यह दलील दे और साक्ष्यों की सहायता से साबित करे कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद, वह कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था और न ही उसे अपने या अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कोई आय प्राप्त हुई। नियोक्ता को भी इसके विपरीत यह साबित करने का अधिकार है, अर्थात, संबंधित अवधि के दौरान कर्मचारी लाभकारी रूप से नियोजित था और इसलिए उसे बकाया वेतन का दावा करने का अधिकार नहीं है। प्रारंभिक भार, हालांकि, कर्मचारी पर है।" (जोर दिया गया)*

जहां भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि प्रारंभिक भार यह साबित करने का है कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद, कर्मचारी कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था और न ही उसे स्वयं या अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कोई आय प्राप्त हुई। और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में, जो इस प्रकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित पुरस्कार को संशोधित करते हुए, कर्मचारी को पूरे वेतन के स्थान पर 50% बकाया वेतन देने का आदेश दिया।

> *"9. पक्षों के विद्वान वकीलों की बात सुनने और मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, हम आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करने के पक्ष में हैं और विवादित आदेश को संशोधित करते हुए, कर्मचारियों को पूरे वेतन के स्थान पर 50% बकाया वेतन देने का आदेश देते हैं।"*

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोई भी पक्ष, विद्वान न्यायाधिकरण के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका; इसलिए, कर्मचारी अपने प्रारंभिक भार को यह साबित करने में असफल रहा कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद, वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था और न ही उसे स्वयं और/या अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कोई आय प्राप्त हुई। इस कमी की अनुपस्थिति में, निश्चित रूप से, विद्वान न्यायाधिकरण ने पूरे बकाया वेतन

का पुरस्कार देकर गंभीर गलती की, जो स्वचालित नहीं है और यांत्रिक रूप से नहीं दिया जा सकता, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में कहा गया है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में चर्चा की गई है, विवादित पुरस्कार दिनांक 13.08.2014 जो संदर्भ संख्या 100/2000 में विद्वान केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद द्वारा पारित किया गया था, को संशोधित करते हुए, रिट याचिकाकर्ता-प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी को उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से लेकर पुनर्नियुक्ति तक 50% बकाया वेतन का भुगतान करे।
12. तदनुसार, यह रिट याचिका उक्त संशोधन के साथ निस्तारित की जाती है।
13. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायाधिकरण को तुरंत भेजी जाए।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 29 फरवरी 2024
स्मिता/एएफआर

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**